ाय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राजस्थान)
न अधिकारी:–सुनिता यादव, आर.ए.एस.
ा संख्या:–142/2018 प्रार्थना पत्र

कालू पिता बंशीलाल सुथार, उम्र बालिग निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्यामलाल उर्फ रामलाल पिता बंशीलाल सुथार, उम्र बालिग निवासी राजपुरा तहसील व
ला भीलवाड़ा (राजस्थान)

–––प्रार्थीगण

बनाम

भंवर पिता किशन जाट, उम्र बालिग निवासी टीला का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
सोहन पिता नंदा जाट, उम्र बालिग निवासी टीला का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
लेहरू पिता नंदा जाट, उम्र बालिग निवासी टीला का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
माधू पिता धन्ना जाट, उम्र बालिग निवासी टीला का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
लादू पिता मांगीलाल जाट, उम्र बालिग निवासी टीला का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
शंकर पिता मांगीलाल जाट, उम्र बालिग निवासी टीला का ख़ेड़ा तहसील भीलवाड़ा
हीरा पिता मांगीलाल जाट, उम्र बालिग निवासी टीला का खेड़ा तहसील भीलवाड़ा
घनश्याम पिता मांगीलाल जाट, उम्र बालिग निवासी टीला का खेड़ा तहसील भीलवाड़ा
जोधा पिता कालू जाट, उम्र बालिग निवासी टीला का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी ज्वारा पिता कालू जाट, उम्र बालिग निवासी टीला का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी ब्रदी पिता लालू जाट, उम्र बालिग निवासी टीला का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी लक्ष्मण पिता देवा जाट, उम्र बालिग निवासी टीला का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी नारायण पिता भैरू जाट, उम्र बालिग निवासी टीला का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी हीरालाल पिता भैरू जाट, उम्र बालिग निवासी टीला का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी नंदा पिता मेघा जाट, उम्र बालिग निवासी टीला का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

–––विपक्षीगण

––––––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

––

:: नि र्ण य ::

दिनांक:–11.6.2018

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0 नियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम टीला का खेड़ा पटवार हल्का ुरिया .तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 98/1 रकबा घा 8 बिस्वा, 98/2 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन ा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की रगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29.5.2018 को पंजीबद्व किया कर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार लेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार ीरित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर वेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार या जाकर ग्राम टीला का खेड़ा पटवार हल्का रामपुरिया .तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके ाते/संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 98/1 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, 98/2 रकबा 3 बीघा 8 स्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

तु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख
क गुंरला को 700/–रूपये (अक्षरेः–सात सौ रूपये मात्र.) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त
जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्ष

की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार
र पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

पिः–तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने परनियमानुसार
पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner